निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 136/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मूलचन्द पुत्र श्री छोटूराम जाति जाट निवासी ग्राम नोरत्तमपुरा तहसील सांगनेर जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण ।
2. मेवाराम पुत्र स्व॰ श्री सूजा
3. कुम्भाराम पुत्र स्व॰ श्री सूजा
4. चन्दा पुत्र स्व॰ श्री सूजा
5. श्रीमती शान्ती पुत्री स्व॰ श्री सूजा
6. केसरा पुत्र स्व॰ श्री मांगू
7. रामकरण पुत्र श्री छोटूराम
8. गल्ला पुत्र स्व॰ श्री मांगू जाट
9. हीरालाल पुत्र स्व॰ श्री पेपा
10. किशन लाल पुत्र स्व॰ श्री पेपा
11. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व॰ श्री पेपा
12. हनुमान पुत्र स्व॰ श्री पेपा
13. श्रीमती नन्दू देवी पत्नी मंगा राम पुत्री स्व॰ श्री पेपा
14. श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री हरजी राम पुत्री स्व॰ श्री पेपा
15. श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री अर्जुनलाल पुत्री स्व॰ श्री पेपा
16. श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री गोपाल पुत्री पुत्र स्व॰ श्री पेपा
17. श्रीमती राजा पत्नी श्री हजारी पुत्री स्व॰ श्री पेपा

    जाति जाट निवासी ग्राम नोरत्तमपुरा तहसील सांगनेर जिला जयपुर ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर ।
19. उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 172/2019 व टी आई प्रा॰ पत्र 82/219 ब उनवानी रामकरण बनाम केशरा व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

जिला कलेक्टर
जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री सी॰ पी॰ बलाई अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रामकिशोर चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं॰ 11 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 24.10.2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण के समक्ष प्रकरण संख्या 172/2019 व टी आई प्रा॰ पत्र 82/219 ब उनवानी रामकरण बनाम केसरा व अन्य वगैरह विचाराधीन है। उक्त प्रकरण वादी की अन्तिम बहस में नियत है। दिनांक 17.09.2019 को अप्रार्थीगण के दलाल उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण के कक्ष में गये तथा पीठासीन अधिकारी के साथ चाय नाश्ता होने के बाद बाहर आकर प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त मुकदमा हमारे पक्ष में डिक्री करवायेंगे एवं हम जमीन पर कब्जा कर बेचान कर देंगे। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा बार बार प्रार्थी को परेशान करते हुये दबाव बना कर जन्दी जल्दी तारीख पेशी दी जा रही है। जिससे अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नही है। पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरणं को शीघ्र निस्तारण करने के लिए उतारू है। प्रार्थी के पास उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी, जयपुर दक्षिण से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से श्री रामकिशोर चौधरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं बल्कि न्याय किया गया ऐसा लगना भी चाहिये। चूंकि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए न्यायहित में उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना वाजिब समझते है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
6. उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण में विचाराधीन प्रकरण संख्या 172/2019 व टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 82/2019 ब उनवानी रामकरण बनाम केशरा व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में मुन्तकिल किया जाता है।
7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को गुणावगुण के आधार पर सुन कर मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
8. निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला कलक्टर जयपुर

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर